

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

3. वर्तमान वेतन ... 18,500 (अठारह हजार)

2. वर्तमान धारित पद

सहायक अभियंता

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यादि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, धारासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
रवोकरा कर्मा नं० - कान्तापीपल जिला - अमरापुर भू 465339	गृह (पट्टा पर -निर्माणा) ग्रामपंचायत इरादा	निरं	अमरापुर क. (अजाफा)	स्वयं	बवरीदा अजाफा	निरं		

कायाचिह्न नियंत्रण नमूना-बी
 आक 114
 शाखा 09.01.25
 अधीक्षक

हस्ताक्षर

नाम

पद

विभाग

नाय-नील भू-ओपल

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बता लाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेमुने-767-अससाप्रवि-18-1-13-20,000.

